न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)
(*बइजलास पंकज गढ़वाल आर0ए0एस0*)

वाद संख्या 55 सन् 2020 निर्णय दिनांक 5-1-2021

अजय चौधरी पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी जयपुरिया खालसा तहसील राजगढ़ जिला चूरू

— वादी

बनाम

1. दयाराम पुत्र सोहनराम पुत्र नुन्दाराम उर्फ नन्दाराम जाति जाट निवासी जयपुरिया खालसा तहसील राजगढ़ जिला चूरू
2. राजस्थान सररकार जरिये तहसीलदार साहेब, राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू

— प्रतिवादीगण

उपस्थिति :—

1. श्री फतेहचन्द पूनियां अधिवक्ता — वास्ते वादी
2. श्री कुन्दन यादव अधिवक्ता — वास्ते प्रतिवादी सं. 1
3. नायब तहसीलदार राजगढ़ — पैरोकार राज

वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 आर0टी0 एक्ट।

—: निर्णय :—

वादी द्वारा वाद के साथ वाद से सम्बन्धित कुर्सीनामा पेश करते हुए वाद घोषणात्मक, एवं चिरस्थाई निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर0टी0 एक्ट निम्न आधार पर प्रस्तुत कर निवेदन किया की — कि कृषि भूमि ख0नं0 146 तादादी 2.31 हैक्टेयर, ख0नं0 188 तादादी 5.34 हैक्टेयर, ख0नं0 192 तादादी 1.78 हैक्टेयर कुल तादादी 9.93 हैक्टेयर वाके रोही जयपुरिया खालसा व कृषि भूमि ख0नं0 139 तादादी 0.72 हैक्टेयर, ख0नं0 143 तादादी 2.06 हैक्टेयर, ख0नं0 165 तादादी 1.86 हैक्टेयर, ख0नं0 169 तादादी 0.41 हैक्टेयर कुल तादादी 5.50 हैक्टेयर वाके रोही जयपुरिया खालसा तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित है। जो कि वादी के दादा सोहन पुत्र नंदाराम की खातेदारी कृषि भूमि थी। जो कृषि भूमि जरिए विरास्तन इंतकाल सं. 180 दिनांक 05.08.2006 को वादी के पिता दयाराम के 1/5 हिस्सा दर्ज हुई है तथा कृषि भूमि ख0नं0 110 तादादी 5.50 हैक्टेयर वाके रोही जयपुरिया खालसा में सें 3.79 हैक्टेयर कषि भूमि वादी की दादी मनभरी पत्नी सोहन के खातेदारी की रही है। जो विरास्तन नामांतरकरण सं. 183 दिनांक 05.12. 2006 वादी के पिता दयाराम के 0.758 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज हुई है। उपरोक्त विवादित कृषि भूमियां वादी के पिता दयाराम प्रतिवादी सं. 1 व वादी के चाचा — ताऊओं के मध्य विभाजन हुआ तो विभाजन नामांतरकरण सं. 181 दिनांक 25.08. 2006 के जरिए वादी के पिता दयाराम पुत्र सोहनराम के हिस्से में कृषि भूमि ख0नं0 226/188 तादादी 1.84 हैक्टेयर, ख0नं0 229/146 तादादी 1.16 हैक्टेयर कुल तादादी 3.00 हैक्टेयर वाके रोही जयपुरिया खालसा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है। कषि भूमि ख0नं0 110 तादादी 5.50 हैक्टेयर वाके रोही जयपुरिया खालसा तहसील राजगढ़ जिला चूरू में प्रतिवादी सं. 1 दयाराम तादादी 3.79 हैक्टेयर में से 1/5 हिस्सा अर्थात तादादी 0.758 हैक्टेयर का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा कृषि भूमि ख0नं0 226/188 तादादी 1.84 हैक्टेयर, ख0नं0 229/146 तादादी 1.16 हैक्टेयर कुल तादादी 3.00 हैक्टेयर वाके रोही जयपुरिया खालसा तहसील राजगढ़ जिला चूरू का प्रतिवादी सं. 1 दयाराम राजस्व रिकार्ड में एकमात्र खातेदार काश्तकार है। यही विवादित कृषि भूमियां है। वास्ते अवलोकन राजस्व रिकार्ड

संलग्न वाद पेश है। उपरोक्त विवादित कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 की दादालाई मौरूसी पैतृक सम्पति है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा निहित है। जो वादी को व प्रतिवादी संख्या 1 को उसके बाप दादाओं से प्राप्त हुई है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 हिन्दू खानदान के सदस्य है जो हिन्दू धर्म को मानने वाले है तथा हिन्दू विधि की मिताक्षरा विधि से शासित है। इस कारण उक्त विवादित कृषि भूमि ख0नं0 110 तादादी 5.50 हैक्टेयर में प्रतिवादी सं. 1 दयाराम के हिस्सा 0.758 हैक्टेयर में वादी, प्रतिवादी सं. 1 के साथ बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा का तथा कृषि भूमि ख0नं0 226/188 तादादी 1.84 हैक्टेयर, ख0नं0 229/146 तादादी 1.16 हैक्टेयर कुल तादादी 3.00 हैक्टेयर वाके रोही जयपुरिया खालसा में वादी, प्रविादी सं. 1 के साथ बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है जो अपने हक हिस्सा पर काबिज होकर काश्त व उप्रयोग उप्भोग करता आ रहा है। इसी अनुसार वादी अपने हक हिस्सा घोषित करवानें का अधिकारी है जिस हेतु यह वाद घोषणात्मक खातेदारी पेश किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी से रंजिस रखने वाले व्यक्तियों के बहकावे में है तथा उनके बहकावे मे आकर उक्त विवादित कृषि भूमि को विक्रय, रहन या अन्य तरीके से हस्तान्तरण करनें की फिराक में है, अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु दिनांक 17.02.2020 को अजनबी व्यक्तियों को लेकर प्रतिवादी सं. 1 विवादित कृषि भूमियों पर आया तथा वादी को उसके हक हिस्सा से जबरन बेदखल कर कब्जां करने पर आमादा हुआ लेकिन मौका पर वादी व अन्यस खेत पड़ौसियों के होने के कारण प्रतिवादी सं. 1 अपने मकशद में कामयाब नही हों सका लेकिन प्रतिवादी सं. 1 नें ऐलानियां धमकी दी कि आज तो वह अपने मकशद में कामयाब नही हो सका है लेकिन आयन्दा मौका मिलते ही वह वादी को उसके हक हिस्सा से जबरन बेदखल कर कब्जा कर लेगा और उक्त विवादित कृषि भूमियों में स्थित अपने हिस्सा व अपने खातेदारी में दर्ज चली आ रही कृषि भूमि को विक्रय, रहन या अन्य तरीके से हस्तान्तरण कर देगा, जैसा कि प्रतिवादी सं. 1 जाहिर कर रहा है करने में सफल हो जाता है तो वादी को ऐसी घोर क्षति कारित होगी जिसका मुद्रा में कोई पर्याप्त अनुतोष नही हो सकेगा। इसलिए वादी को प्रतिवादीगण के खिलाफ चिरस्थाइ निषेधाज्ञा इस आशय की प्राप्त करनी जरूरी हो गई है कि प्रतिवादी सं. 1 उक्त कृषि भूमि में स्थित अपने हिस्सा व अपने खातेदारी में दर्ज चली आ रही कृषि भूमि को रहन, बैय या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण ना करे व वादी को उसके हक हिस्सा की कृषि भूमि से जबरन बेदखल कर कब्जा ना करे व कोई भी ऐसा कृत्य व अपकृत्य ना करे जिससे कि वादी के हितो को नुकसान कारित होता हो। इसलिए वादी द्वारा यह चिरस्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश कर रहा है। वादी ने प्रतिवादी सं. 1 को को काफी कहा व कहलवाया कि वह कृषि भूमि ख0नं0 110 तादादी 5.50 हैक्टेयर वाके रोही जयपुरिया खालसा तहसील राजगढ़ जिला चूरू में प्रतिवादी सं. 1 दयाराम तादादी 3.79 हैक्टेयर में से 1/5 हिस्सा अर्थात तादादी 0.758 हैक्टेयर में वांदी का 1/2 हिस्सा तथा कृषि भूमि ख0नं0 226/188 तादादी 1.84 हैक्टेयर, ख0नं0 229/146 तादादी 1.16 हैक्टेयर कुल तादादी 3.00 हैक्टेयर वाके रोही जयपुरिया खालसा तहसील राजगढ़ जिला चूरू में वादी का 1/2 हिस्सा घोषित मानकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करवा देवें व उक्त विवादित कृषि भूमियों में स्थित अपने हिस्सा व अपनें खातेदारी में दर्ज चली आ रही कृषि भूमि को रहन, बैय या अन्य तरीके से हस्तान्तरण ना करे व ना करावे तथा प्रतिवादी सं. 1 वादी को उसके हक हिस्सा से जबरन बेदखल कर कब्जा ना करे तथा कोई भी ऐसा कृत्य व अपकृत्य ना करे जिससे कि वादी के हितो को नुकसान कारित होता हो व विवादित कृषि भूमि के मौका की स्थिति को बनाये रखे लेकिन प्रतिवादी सं. 1 नें

दिनांक 17.02.2020 को ऐसा मानने व करवाने से बमुकाम जयपुरिया खालसा में स्पष्ट इन्कार कर दिया। जिस कारण वादी को इसी दिन से वाद कारण हासिल है तथा वादाधार वादी को उक्त विवादित कृषि भूमि दादालाई सम्पति होनें के कारण तथा उक्त विवादित कृषि भूमि में वादी को प्रतिवादी सं. 1 का पुत्र होनें से से हासिल है। भूमि की सर्वोत्तम मालिक राजस्थान राज्य सरकार होने के कारण तहसीलदार साहब, राजगढ़ को आवश्यक पक्षकार वाद प्रतिवादी बनाया गया है। अन्य सहखातेदारान के खिलाफ कोई अनुतोष नही चाहनें के कारण अन्य सहखातेदारान को पक्षकार वाद पक्षकार प्रतिवादीगण नही बनाया गया है। पक्षकारान वाद व विवादित कृषि भूमि अदालतवाला के अधिक्षेत्र में स्थित होने से अदालतवाला को वाद का हर प्रकार से श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार हासिल है। वाद मालियत घोषणा के लिए 2000/– रूपये व चिरस्थाई निषेधाज्ञा के लिए 2000/– रूपये कुल 4000/– रूपये कायम की जाकर वाद निर्धारित न्यायालय शुल्क 4/– रूपये पर हर प्रकार से अन्दर अवधि पेश है।

अंत में निवेदन किया कि वाद वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) कि घोषित किया जावे कि कृषि भूमि ख0नं0 110 तादादी 5.50 हैक्टेयर वाके रोही जयपुरिया खालसा तहसील राजगढ़ जिला चूरू में प्रतिवादी सं. 1 के हिस्सा तादादी 0.758 हैक्टेयर में वादी 1/2 हिस्सा का खातेदार कांश्तकार तथा कृषि भूमि ख0नं0 226/188 तादादी 1.84 हैक्टेयर, ख0नं0 229/146 तादादी 1.16 हैक्टेयर कुल तादादी 3.00 हैक्टेयर वाके रोही जयपुरिया खालसा तहसील राजगढ़ जिला चूरू में वादी बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। तद्नुसार अंकन दरामद किया जानें के आदेश श्रीमान् तहसीलदार साहेब राजगढ़ को फरमाया जावे।

(ख) कि चिरस्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादी सं. 1 इस अमर की पारित की जावे कि कृषि भूमि ख0नं0 110 तादादी 5.50 हैक्टेयर वाके रोही जयपुरिया खालसा तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित अपने हिस्सा को तथा कृषि भूमि ख0नं0 226/188 तादादी 1.84 हैक्टेयर, ख0नं0 229/146 तादादी 1.16 हैक्टेयर कुल तादादी 3.00 हैक्टेयर वाके रोही जयपुरिया खालसा तहसील राजगढ़ जिला चूरू को प्रतिवादी सं. 1 किसी व्यक्ति को रहन बैय या अन्य तरीके से हस्तान्तरण ना करे तथा वादी को उसके कब्जा काश्त की कृषि भूमि से जबरन बेदखल ना करे ना करावे तथा प्रतिवादी सं. 3 प्रतिवादी सं. 1 की ओर से पेश कोई भी हस्तान्तरणिय दस्तावेज रहननामा, विक्रय पत्र या अन्य हस्तान्तरणीय दस्तावेज पंजीकृत ना करे। व कोई भी ऐसा कृत्य व अपकृत्य ना करे जिससे कि वादी के हितो को नुकसान कारित होता हो।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो जो वाद दायरी के समय भूल से रह गये हो या दौरानें वाद पैदा हो जावे वो भी वादी को प्रतिवादीगण से दिलाये जावे।

(घ) कि वाद खर्चा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

वाद प्रस्तुत होनें पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सशुल्क तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी सं. 1 नें अदालत हाजा में उपस्थित होकर इकबाल दावा पेश कर वाद वादी स्वीकार किए जानें में कोई आपति नही दर्शायी है, तथा पैरोकार राज ने राजहित प्रभावित नही होना जाहिर किया।

वादी नें अपनें वाद के समर्थन में प्रमाणित दस्तावेजात पेश किए है तथा प्रतिवादी सं. 1 की ओर से इकबाल दावा पैश किया गया है तथा पैरोकार राज ने राजहित प्रभावित नही होना जाहिर किया।

उपखण्ड अधिकारी

चूंकि प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा वाद का कोई प्रतिरोध नही कर जरिये इकबालदावा वाद को स्वीकार किया गया है तथा प्रतिवादी सं. 2 ने राजहित प्रभावित नही होना जाहिर किया है, जिस कारण मैं वादी का वाद घोषणा की हद तक स्वीकार करने व चिरस्थाई निषेधाज्ञा की हद तक अस्वीकार करनें योग्य पाता हूँ।

आदेश

अतः आदेश है कि दावा वादी बाबत इस्तकरार हक इस कदर डिक्री किया जाता है कि – विवादित कृषि भूमि ख0नं0 110 तादादी 5.50 हैक्टेयर वाके रोही जयपुरिया खालसा तहसील राजगढ़ जिला चूरू में प्रतिवादी सं. 1 दसाराम के हिस्सा तादादी 0.758 हैक्टेयर में वादी अजय चौधरी 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार तथा कृषि भूमि ख0नं0 226/188, तादादी 1.84 हैक्टेयर, ख0नं0 229/146 तादादी 1.16 हैक्टेयर कुल तादादी 3.00 हैक्टेयर वाके रोही जयपुरिया खालसा तहसील राजगढ़ जिला चूरू में वादी अजय चौधरी बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं एव चिरस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष खारिज किया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार राजगढ़ को वादी व प्रतिवादी सं. 1 का नाम राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती के आदेश प्रदान किये जाते है। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

खर्चा उभय पक्षकारान अपना अपना स्वंय वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 5-1-2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ (चूरू)